न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(129)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 279-एक/1991 विरूद्ध आदेश दिनांक 07-09-1991 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 193/अपील/1998-1999

हीरा पिता पूरा सिरवी (मृत वारिसान :-
(1)धन्नालाल पिता हीराजी
(2)शंकरलाल पिता हीरा जी
(3)मूलचंद पिता हीराजी (मृत वारिसान :-
अ-जमुनाबाई पति मूलचंद
निवासी गली नं.2 कानवन रोड पेटलावद जिला झाबुआ
ब-विनोद पिता मूलचंद
निवासी सिर्वी मोहल्ला मुलेवा गली पेटलावद जिला झाबुआ
स-संजय पिता मूलचंद
निवासी गली नं.2 कानवन रोड पेटलावद जिला झाबुआ
द-गंगा पति मदन पिता मूलचंद
निवासी बस स्टेंड बदनावर जिला धार
ई-गिरिजा पति शंकर पिता मूलचंद
निवासी सिर्वी मोहल्ला पेटलावद जिला झाबुआ
प-रंभाबाई पति बाबूलाल पिता मूलचंद
निवासी गली नं.2 कानवन रोड पेटलावद जिला झाबुआ
(4)श्रीमती फुलीबाई बेरा हीराजी
निवासीगण पेटलावद जिला झाबुआ

.....आवेदकपक्ष

विरूद्ध

1-रामाजी पिता लुणाजी

2-भग्गा पिता पुराजी (मृत वारिसान :-
3-नानिया पिता पुराजी (मृत वारिसान :-
(1)बाबूलाल पिता नानिया
(2)शांतिलाल पिता नानिया
(3)रमेश पिता नानिया
(4)शंभू पिता नानिया
(5)प्यारिबाई पति नानिया
(6)शांतिबाई पिता नानिया
निवासी पेटलावद जिला झाबुआ

.....अनावेदकपक्ष

श्री विक्रांत होल्कर, अभिभाषक, आवेदकपक्ष
एकपक्षीय - अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 को पारित)

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-09-1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 27-7-1974 को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया कि ग्राम दुलाखेडी स्थित उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 654, 665,666, 667 व 668 पैकी रकबा 0.25 एकड़ भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है अत: कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27-1-1988 को आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 का आवेदन स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-2-1989 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 07-09-1991

को आदेश पारित द्वितीय अपील खारिज की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त प्रकरण सीमांकन के आधार पर पेश किया गया है जबकि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सूचना ही नहीं दी गई है । आवेदक की अनुपस्थिति में किये गये सीमांकन के आधार पर आवेदक को अतिक्रामक मानकर आदेश पारित किया गया है जो अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदक के आधिपत्य में उक्त भूमि दिनांक 19-8-1960 से कब्जे में है यही बात अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा भी अपने कूट परीक्षण में स्वीकार की गई है फिर दावा संहिता की धारा 250 के तहत अवधि में पेश होना माना गया है जो कि अवैध है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं किया गया है कि आवेदक द्वारा किस सर्वे नम्बर पर अवैध कब्जा किया गया है इस बात का उल्लेख आवेदन में नहीं किया गया है इसलिये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानो स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में अनावेदकपक्ष के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 28-3-1974 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है और जिसमें आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है । अत: नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 6-11-1975 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाया गया है जिसकी अपील भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25-2-1976 को निरस्त की गई है । दिनांक 9-2-1977

को आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण पुन: जॉच हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । आयुक्त न्यायालय के आदेश क पालन में पुन: दिनांक 27-11-1988 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा किया गया अवैध कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने का आदेश दिया गया है जिसकी अपील भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-2-1989 को आदेश पारित कर निरस्त की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 7-9-1991 निरस्त की गई है । इससे यह तथ्य पूर्णत: प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अत: अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-09-1991 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर